

इसे वेबसाईट [www.govtpressmp.nic.in](http://www.govtpressmp.nic.in)  
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



# मध्यप्रदेश राजपत्र

## ( असाधारण )

### प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 219]

भोपाल, सोमवार, दिनांक 3 जून 2019—ज्येष्ठ 13, शक 1941

नगरीय विकास एवं आवास विभाग  
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 3 जून 2019

क्र. एफ-1-25-2019-अठारह-3.—नगरपालिका परिषद, अनूपपुर, जिला अनूपपुर की परिषद का कार्यकाल दिनांक 16 अक्टूबर 2018 को समाप्त होने के फलस्वरूप मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 346 के प्रावधानों के अंतर्गत नगरपालिका परिषद अनूपपुर में विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 29 अक्टूबर 2018 के द्वारा श्री ऋषि सिंघई, डिप्टी कलेक्टर, जिला अनूपपुर को प्रशासक नियुक्त किया गया है.

प्रशासकीय कारणों से, मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 328 के प्रावधानों के अंतर्गत राज्य शासन, एतद्द्वारा, उपरोक्तानुसार प्रशासक के स्थान पर निम्नानुसार प्रशासनिक समिति नियुक्त करता है:—

- |  |           |
|--|-----------|
| 1. श्री रामखेलावन राठौर, पूर्व अध्यक्ष, नगरपालिका परिषद अनूपपुर, वार्ड क्र. 01, कोतमा रोड, अनूपपुर | अध्यक्ष   |
| 2. श्री राकेश कुमार गुप्ता, गुप्ता, मंडलम अध्यक्ष, सामतपुर निवासी वार्ड 11 अनूपपुर                 | उपाध्यक्ष |
| 3. श्री योगेन्द्र राय, पूर्व पार्षद, निवासी वार्ड क्र. 08, अनूपपुर                                 | सदस्य     |
| 4. श्री रामाधार बैगा, पूर्व पार्षद, निवासी वार्ड क्र. 02, अनूपपुर                                  | सदस्य     |
| 5. श्रीमती शैल कुमारी (अनिल) पटेल, समाज सेविका, निवासी वार्ड क्र. 09, जैतहरी मार्ग, अनूपपुर        | सदस्य     |

उपरोक्त आदेश तत्काल प्रभावशील होगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
राजीव निगम, उपसचिव.